तथ्यपत्रक: ऑस्ट्रेलिया की आव्रजन स्वास्थ्य (इमिग्रेशन हेल्थ) आवश्यकताओं तथा विकलाँगता और/या स्वास्थ्य-संबंधी स्थितियों से ग्रस्त व्यक्तियों पर इनके प्रभाव का अवलोकन।

पृष्ठभूमि

- यह तथ्यपत्रक विकलाँगता-ग्रस्त लोगों द्वारा जटिल ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन प्रणाली को देखते-समझते समय उनके द्वारा अनुभव किए गए भेदभाव के बारे में समझाता है।
- विकलाँगता-ग्रस्त व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए आवेदन करते समय जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, यह तथ्यपत्रक उन्हें अलग-अलग विभाजित करता है।
- यह विकलाँगता-ग्रस्त लोगों को आव्रजन के लिए व्यावसायिक सहायता और समर्थन के स्रोतों के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है।

विकलाँगता या स्वास्थ्य-संबंधी स्थितियों से ग्रस्त लोग, और ऐसे परिवार जहाँ विकलाँगता या स्वास्थ्य-संबंधी मामलों से ग्रस्त सदस्य हैं, उनके लिए वीज़ा आवेदनों को अस्वीकार किए जाने का खतरा अधिक होता है क्योंकि वे आव्रजन अधिनियम 1958 (राष्ट्रमंडल) [Migration Act 1958 (Cth)] और आव्रजन विनियम 1993 [Migration Regulations 1993] के अंतर्गत नियत कड़ी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होते हैं।[i]

आव्रजन स्वास्थ्य आवश्यकता के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार का तर्क यह है कि इसे पूरा करना निम्नलिखित बातों के लिए ज़रूरी है:

- जनस्वास्थ्य और सुरक्षा-संबंधी खतरों से ऑस्ट्रेलियाई समुदाय की सुरक्षा के लिए, विशेष रूप से सक्रिय तपेदिक;
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा कुछ सामाजिक सुरक्षाओं, भत्तों और पेंशन जैसी सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित करने में विभाग [Department] की सहायता के लिए; तथा
- ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और स्थायी निवासियों [permanent residents] के लिए कम आपूर्ति की स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए।

आव्रजन स्वास्थ्य आवश्यकता में यह नियत किया गया है कि वीज़ा आवेदक को ऐसे किसी भी 'रोग या स्वास्थ्य-संबंधी स्थिति' से मुक्त होना चाहिए, जो ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के लिए एक 'महत्वपूर्ण' [‘significant’] व्यय होगा, या जो स्वास्थ्य और सामुदायिक देखभाल और/या कम आपूर्ति के संसाधनों के लिए ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों की सुलभता को बाधित करेगा।

कभी-कभी किसी विकलाँगता या निरंतर चलने वाली स्वास्थ्य-संबंधी स्थिति से ग्रस्त वीज़ा आवेदकों के लिए स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करना कठिन हो सकता है, जो केवल आवेदक की स्वास्थ्य-संबंधी स्थिति के कारण पैदा होने वाली आर्थिक लागत एवं जनस्वास्थ्य और सामुदायिक संसाधनों पर कथित रूप से पड़ने वाले ‘भार’ पर ही केंद्रित है।

[i] *ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने हेतु स्वास्थ्य मानदंड सभी वीज़ाओं के लिए लागू होता है*

स्वास्थ्य आवश्यकता विकलाँगता का आकलन अप्रचलित रोग/स्वास्थ्य-संबंधी लेंस के माध्यम से करती है और व्यक्तिगत परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखती है। साथ ही यह आवेदक द्वारा वास्तव में सरकारी सेवाएँ प्राप्त करने की मंशा का आकलन नहीं करती है; अथवा यह हमारे समुदाय में आवेदकों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक योगदान को भी ध्यान में नहीं रखती है।

हालांकि सभी वीज़ा आवेदकों का आकलन स्वास्थ्य आवश्यकता के मानदंड के अनुरूप किया जाना चाहिए, परंतु ये प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से विकलाँगता-ग्रस्त लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।

> 2010 विकलाँगता के प्रति आव्रजन के व्यवहार की जाँच के लिए सँयुक्त स्थायी समिति (ऑस्ट्रेलिया का समर्थीकरण) [2010 Joint Standing Committee on Migration's Inquiry into the Migration Treatment of Disability (Enabling Australia)] ने कहा है कि स्वास्थ्य आवश्यकता भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे 'स्वास्थ्य आवश्यकता मानदंड नियत करती है जिन्हें विकलाँगता-ग्रस्त व्यक्ति पूरा नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं'।[ii]

2017 में आप्रवासियों के मानवाधिकारों से संबंधित विशेष दूत [Special Rapporteur] ने भी इस भेदभावपूर्ण प्रभाव का उल्लेख किया था।[iii] ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने विशेषकर 2010 में ऑस्ट्रेलिया का समर्थीकरण। *[Enabling Australia]* जाँच के बाद और हाल ही में 2019 में भी विकलाँगता और स्वास्थ्य-संबंधी स्थितियों से ग्रस्त लोगों के विषय में अपनी वीज़ा स्वास्थ्य नीति में कुछ संशोधन किए हैं, किंतु प्रमुख विधायी और नीति सुधार अभी तक लागू नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण रूप से, आव्रजन अधिनियम [Migration Act] और संबंधित विनियमों को विकलाँगता भेदभाव अधिनियम (1992) [Disability Discrimination Act (1992)] से अभी भी अपवाद प्राप्त है। और न ही ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की विकलाँगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित समिति के प्रति व्याख्यात्मक घोषणा, सीआरपीडी अनुच्छेद 18 [Interpretative Declaration to United Nations' Committee on the Rights of Persons with Disability, CRPD Article 18] को निरस्त करने की दिशा में कोई कार्य किया है, जिसकी संस्तुति विकलाँगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित समिति [Committee on the Rights of Persons with Disabilities] द्वारा की गई है।[iv]

इसका अर्थ है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कड़ी स्वास्थ्य आवश्यकता को कानून और नीति में बरकरार रखा है, भले ही यह विकलाँगता-ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित प्रसंविदा (सीआरपीडी) [Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD)] के विरोधाभास में है जिसके प्रति ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने अपनी संपुष्टि की है।

स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करना

ऑस्ट्रेलियाई सरकार लगभग सभी वीज़ा आवेदकों के लिए यह आवश्यक बनाती है कि घरेलू मामले विभाग (विभाग) [Department of Home Affairs (Department)] द्वारा किसी आवेदक का वीज़ा जारी किए जाने से पहले वे कुछ स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करें। इन आवश्यकताओं को तथाकथित दो जनहित मानदंडों (पीआईसी), पीआईसी 4005 और पीआईसी 4007 [Public Interest Criteria (PIC), PIC 4005 और PIC 4007] के रूप में नियत किया गया है।

कुछ मामलों में वीज़ा आवेदन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विभाग [Department] परिवार के ऐसे सदस्यों का स्वास्थ्य आकलन भी कर सकता है जो आव्रजन नहीं कर रहे हैं, और यदि ऐसा कोई परिवार का सदस्य प्रासंगिक पीआईसी [PIC] में नियत की गई स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहता है, तो पूरे परिवार के लिए वीज़ा अस्वीकृत किए जा सकते हैं।

महत्वपूर्ण [Significant] लागत

स्वास्थ्य-संबंधी स्थिति या विकलाँगता से ग्रस्त किसी वीज़ा आवेदक का आकलन करते समय राष्ट्रमंडल चिकित्सा अधिकारी (एमओसी) [Medical Officer of the Commonwealth (MOC)] को वीज़ा जारी किए जाने की स्थिति में जनस्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाओं के लिए संभवत: पैदा होने वाली लागतों का आकलन करना होता है और विभाग [Department] को इस बारे में लिखित राय प्रदान करने की आवश्यकता होती है कि क्या ये काल्पनिक लागतें 'महत्वपूर्ण' ['significant'] हैं।[vi]

[ii] *Australian House of Representatives, Joint Standing Committee on Migration (2010), Enabling Australia: Inquiry into the Migration Treatment of Disability, 177 noting the opinion of Professor Ben Saul.*
[iii] *Francois Cripeau, 'Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants of Australia and the regional processing centres in Nauru', 35th sess, Human Rights Council, Agenda item 3, UN Doc A/HRC/35/25/Add.3 (24 April 2017) [92]*
[iv] *Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 'Concluding observations on the initial report of Australia, adopted by the Committee at its tenth session (2-13 September 2013), UN Doc CRPD/C/AUS/CO/1, 21 October 2013, paras 8-9.*
[v] *https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health*
[vi] *https://visaaustralia.com.au/immigration-news/australian-government-introduces-medical-conditions-disability-thresholds/*

सामुदायिक सेवाओं में ऑस्ट्रेलियाई विकलाँगता समर्थन लाभ या भत्ता, समर्थन-प्राप्त आवास, विशेष शिक्षा तथा गृह-आधारित या सामुदायिक देखभाल के प्रावधान शामिल हो सकते हैं। यदि आवेदक की लागतों को किसी विशिष्ट अवधि में 'महत्वपूर्ण' ['significant'] माना जाता है, तो वे स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहेंगे।

'महत्वपूर्ण लागतों' ['Significant costs'] का आकलन करते समय आवेदक के लिए निम्नलिखित लागतों का आकलन किया जाता है:

- यदि वीज़ा आवेदक ने अस्थायी [temporary] वीज़ा के लिए आवेदन किया है, तो वीज़ा जारी किए जाने की अवधि; या
- यदि वीज़ा आवेदक ने स्थायी [permanent] या अनंतिम [provisional] वीज़ा के लिए आवेदन किया है, तो अधिकतम दस वर्षों की अवधि।

अप्रैल 2020 से महत्वपूर्ण ['significant'] लागतों की धनराशि-सीमा $49,000 है।

स्वास्थ्य आवश्यकता को कैसे पूरा करें

आवेदन किए गए वीज़ा के प्रकार तथा कुछ अन्य कारकों के आधार पर वीज़ा आवेदकों को या तो एक स्वास्थ्य घोषणा पूरी करनी होती है, या फिर विभाग [Department] द्वारा नियुक्त किए गए अथवा किसी मान्यता-प्राप्त चिकित्सक से अपनी संपूर्ण चिकित्सीय जाँच कराने की आवश्यकता होती है। इन कारकों में, कुछ अन्य बातों के अलावा, ये शामिल हैं: निवास की प्रस्तावित अवधि; किस देश का पासपोर्ट है; हाल में कहाँ रहे/रही हैं; आयु; और ऑस्ट्रेलिया में क्या करने का प्रयोजन है। ऐसी घोषणाओं या परीक्षणों के परिणामों का आकलन एमओसी [MOC] द्वारा किया जाएगा।

यदि किसी आवेदक में विकलाँगता या चिकित्सीय स्थिति का प्रमाण प्रदर्शित होता है, तो एमओसी [MOC] द्वारा विभाग [Department] को इस बारे में सूचित किया जाएगा कि क्या निम्नलिखित स्थितियों के पैदा होने की संभावना है:

- जनस्वास्थ्य के लिए खतरा;
- स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण [significant] लागतें; या
- स्वास्थ्य देखभाल या सामुदायिक सेवाओं पर कम आपूर्ति के संसाधनों के लिए माँग।

फिर एमओसी [MOC] इस बात का आकलन करेंगे कि यदि कोई ऑस्ट्रेलियाई नागरिक या स्थायी [permanent] निवासी आवेदक के समान गंभीरता की समान स्वास्थ्य-संबंधी स्थिति से ग्रस्त होता है, तो वह किस प्रकार की स्वास्थ्य और सामुदायिक सेवाओं के लिए पात्र होगा।

इन स्वास्थ्य लागतों का हिसाब कैसे लगाया जाता है?

एमओसी [MOC] की राय में केवल आवेदक की चिकित्सीय स्थिति पर ही विचार किया जाता है, जिसमें विकलाँगता भी शामिल है, किंतु अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियाँ नहीं। उदाहरण के लिए, एमओसी [MOC] इस बात पर विचार नहीं कर सकते हैं कि आवेदक उपलब्ध जनसेवाओं का उपयोग करेंगे या नहीं, उदाहरण के लिए, यदि उनके पास निजी स्वास्थ्य बीमा है या उपचार के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है; अथवा यदि शिक्षण-संबंधी विकलाँगता से ग्रस्त बच्चे के माता-पिता अपने बच्चे को गैर-सरकारी रूप से शिक्षित करना पसंद कर सकते हैं।

इसलिए एमओसी [MOC] द्वारा स्वास्थ्य और सामुदायिक लागतों का आकलन किए जाने में आवेदक द्वारा वास्तव में उपयोग की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल या सामुदायिक सेवाओं की प्रासंगिकता शामिल नहीं है। उनका ध्यान सेवाओं के लिए पात्रता पर केंद्रित होता है। सामान्य रूप से लागतों का आकलन निम्नलिखित रूपरेखा के अनुसार किया जाता है।

स्थायी [permanent] या अनंतिम [provisional] वीज़ा आवेदक	
75 वर्ष और इससे अधिक आयु के आवेदक	अस्थायी स्वास्थ्य-संबंधी स्थिति के लिए 3 वर्ष
यथोचित रूप से अनुमानित की जा सकने वाली (5-वर्ष की अवधि से अधिक) स्थायी स्वास्थ्य-संबंधी स्थिति से ग्रस्त आवेदक	अधिकतम 10 वर्ष की अवधि
यथोचित रूप से अनुमानित की जा सकने वाली (>65% संभावना) न्यूनीकृत जीवन प्रत्याशा के आवेदक	यदि प्रत्याशा 5 वर्ष से अधिक है, तो अधिकतम 10 वर्ष
अन्य सभी स्थायी [permanent] या अनंतिम [provisional] वीज़ा आवेदक	5 वर्ष

अस्थायी [temporary] वीज़ा आवेदक
वीज़ा जारी किए जाने की अवधि

स्वास्थ्य अपवाद [Health Waiver]

कुछ परिस्थितियों में 'स्वास्थ्य अपवाद' ['health waiver'] उपलब्ध हो सकता है। इसका अर्थ है कि विभाग [Department] के विवेकानुसार स्वास्थ्य आवश्यकता में 'अपवाद' दिया जा सकता है, या इसे उपेक्षित किया जा सकता है। यह केवल पीआईसी 4007 [PIC 4007] के अधीन आने वाले विशिष्ट वीज़ा आवेदकों के लिए ही संभव है, विशेषकर: सहजीवी [partner] वीज़ा, बाल [child] वीज़ा और कुछ अल्पावधि [short term] तथा स्थायी कार्य-नियोक्ता द्वारा प्रायोजित कुशलता-प्राप्त [permanent employer-sponsored skilled] वीज़ा।

> यदि आवेदन किए जा रहे वीज़ा के लिए पीआईसी 4007 [PIC 4007] के अधीन स्वास्थ्य आवश्यकता से अपवाद [waiver] उपलब्ध है, तो स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहने वाले आवेदक को अपवाद [waiver] के तहत आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उसे विभाग [Department] के विचार-मनन के लिए और अधिक जानकारी तथा दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।

स्वास्थ्य आवश्यकता में संभावित अपवाद हेतु विचार-मनन किए जाने से पहले आवेदकों को वीज़ा के लिए नियत अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

इसके बाद विभाग [Department] आवेदकों से:

- अपनी विशेष परिस्थितियों के बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए; तथा
- एक औपचारिक टेम्पलेट को पूरा करके जमा करने के लिए कहेगा, जिसमें यह बताना होगा कि स्वास्थ्य अपवाद [health waiver] क्यों दिया जाना चाहिए।

अपवाद के आवेदन के प्रत्येक मामले पर अलग-अलग विचार किया जाता है। इसमें कई कारकों को संबोधित करने की आवश्यकता होती है, जिनमें शामिल हैं:

- क्या आवेदक या उसके परिवार का कोई सदस्य ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक सेवाओं पर अपनी स्वास्थ्य-संबंधी स्थिति और अपनी संभावित निर्भरता को कम कर सकता है; तथा
- वीज़ा जारी किए जाने के समर्थन में कोई अन्य विशिष्ट अनुकंपा-आधारित और बाध्यकारी परिस्थितियाँ।

आवेदक की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर केवल तभी विचार किया जाता है, जब वह अपवाद के लिए आवेदन करता है।

यदि स्वास्थ्य अपवाद [health waiver] को अस्वीकार कर दिया जाए, तो क्या होगा?

स्वास्थ्य अपवाद [health waiver] को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में आवेदकों के लिए कुछ मार्ग खुले हो सकते हैं, किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि सभी वीज़ा 'समीक्षा के योग्य' ['reviewable'] नहीं होते हैं। यदि अस्वीकृति की समीक्षा का विकल्प उपलब्ध है, तो सामान्य रूप से सबसे पहला कदम यह होता है कि प्रशासनिक अपील न्यायाधिकरण (एएटी) [Administrative Appeals Tribunal (AAT)] के समक्ष निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन जमा किया जाए। न्यायालय में न्यायिक समीक्षा, या मंत्रिस्तरीय हस्तक्षेप (एमआई) [Ministerial Intervention (MI)] के विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं।

अपवाद [Waiver], एएटी [AAT] समीक्षा या एमआई [MI] चरण में अधिवक्ता और समर्थक भी आवेदकों के लिए कुछ चरित्र संदर्भ या समर्थन पत्र प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं।

सारांश

हालांकि 1 जुलाई 2019 से स्वास्थ्य-संबंधी आवश्यकताओं में ढील दी गई है, किंतु आव्रजन प्रक्रिया की अंतर्निहित भेदभावपूर्ण प्रकृति और कार्यप्रथा से ऑस्ट्रेलियाई वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले विकलाँगता और स्वास्थ्य-संबंधी स्थितियों से ग्रस्त व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ना जारी है।

ऑस्ट्रेलिया की जटिल आव्रजन प्रणाली विकलाँगता और स्वास्थ्य-संबंधी स्थितियों से ग्रस्त लोगों तथा उनके परिवारों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है। इसे संबोधित करने के लिए एक विधायी सुधार की आवश्यकता है, जो भेदभावहीन आव्रजन प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र सीआरपीडी [United Nations CRPD] में नियत की गई अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करे।

व्यावसायिक आव्रजन सहायता कहाँ से प्राप्त की जा सकती है

आव्रजन कानून का एक जटिल क्षेत्र है और एक अनुभवी पंजीकृत आव्रजन एजेंट (आरएमए) [Registered Migration Agent (RMA)] या आव्रजन वकील से परामर्श प्राप्त किए जाने की पुरजोर सलाह दी जाती है, विशेषकर जब स्वास्थ्य अपवाद [AAT] या एएटी [AAT] समीक्षा के लिए निवेदन किया जाए।

आव्रजन एजेंट पंजीकरण प्राधिकरण कार्यालय [Office of Migration Agents Registration Authority] के माध्यम से पंजीकृत आव्रजन एजेंटों [Registered Migration Agents] की खोज की जा सकती है:

www.mara.gov.au

कभी-कभी विभिन्न सामान्य या विशेषज्ञ सामुदायिक कानूनी केंद्र या प्रो बोनो आव्रजन एजेंट निःशुल्क कानूनी सलाह या जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी निकटस्थ एजेंसी या रेफरल केंद्र का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसी एजेंसी या रेफरल केंद्र से संपर्क कर सकते/सकती हैं

सामुदायिक कानूनी केंद्र ऑस्ट्रेलिया

- https://clcs.org.au/
- https://clcs.org.au/findlegalhelp

ऑस्ट्रेलियाई प्रो बोनो केंद्र:

- https://www.probonocentre.org.au/legal-help/individual/